2023 का विधेयक संख्यांक 18

[दि कांस्टिट्यूशन (जम्मू-कश्मीर) शिड्यूल्ड कास्ट्स आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

सं0आ0 52 5

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का संशोधन ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 की अनुसूची में, प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. वाल्मिकी (केवल जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में), चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में "अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है" के रुप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान का अनुच्छेद 341 नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है—

"341. अनुसूचित जातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

3. संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची को संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 द्वारा पहली बार तारीख 22.12.1956 को अधिसूचित किया गया था और उक्त सूची का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 61) द्वारा तारीख 17.12.2002 को अंतिम बार उपांतरण किया गया था । जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ने वाल्मिकी समुदाय को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची में क्र० सं० 5 पर चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर के पर्याय के रुप में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश की है ।

4. जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश के आधार पर, यह प्रस्तावित किया जाता है कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 के संशोधन द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण किया जाए ।

5. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, प्रविष्टि 5 में वाल्मिकी (केवल जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में) को सम्मिलित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली
30 जनवरी, 2023

डॉ० वीरेन्द्र कुमार

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में एक पर्यायी समुदाय सम्मिलित करता है । इस विधेयक के परिणामस्वरुप, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आशयित स्कीमों के फायदे के लेखे पर कुछ अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा, जिसके लिए नए जोड़े गए समुदाय के व्यक्ति हकदार होंगे ।

2. इस प्रक्रम पर इस लेखे उपगत व्यय का आकलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के भीतर ही किया जाएगा ।

उपाबंध

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 (सं0 आ0 52) से उद्धरण

* * * * *

अनुसूची

* * * * *

5. चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर

* * * * *